**ऋणी के गारन्टी देने वाले (प्रत्याभू) से ऋण की वसूली का वाद योजित किया जाना**

**(Suit for Payment of Loan from Guarantor of the Debtor)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् .. ..........

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

उपरोक्त नामित वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :\_\_

1. यह कि श्री .......... (ऋणि का नाम, पिता का नाम, पता) ने दिनाँक ......... को वादी से त्रण अंकन ......... रु० .........% वार्षिक ब्याज पर लेकर रुक्का रसीद निष्पादित किये थे—ऋण वसूली की अवधि दिनाँक ......... को समाप्त होने जा रही थी-उस दिनाँक से पूर्व ही दिनाँक ....... . को प्रतिवादी ने उक्त ऋण को अभिस्वीकार करते हुए वरुणी श्री ......... का प्रत्याभूति बनकर भुगतान करने के लिए प्रत्याभूति बन्धपत्र वादी के पक्ष में निष्पादित किया था कि ऋणी श्री ......... द्वारा बढ़ी अवधि में ऋण व प्रोदभूत ब्याज का भुगतान न किये जाने पर वह उसे भुगतान करेगा।
2. यह कि ऋणी श्री ......... ने बढ़ी अवधि में भी माँगने पर वादी को ऋण व प्रोदभूत ब्याज का भुगतान नहीं किया।
3. यह कि वादी ने प्रतिवादी को ऋण व प्रोदभूत ब्याज की माँग करते हुए दिनाँक .........

को पंजीकृत नोटिस भेजा जो प्रतिवादी पर दिनाँक को तामील हुआ किन्तु प्रतिवादी ने भुगतान नहीं किया।

1. यह कि वाद का कारण प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में प्रत्याभूति बन्धपत्र निष्पादित करने की दिनाँक ......... ऋणी श्री ......... के भुगतान करने में विफल होने पर प्रतिवादी को दिये गये नोटिस की तामील दिनाँक ......... को होते हुए भुगतान न करने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ और न्यायालय को वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
2. यह कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार व न्याय शुल्क के उद्देश्य से वाद का मूल्यांकन ऋण अंकन ......... रु० तथा प्रोदभूत ब्याज अंकन ......... रु० कुल अंकन ......... रु० पर किया जाता है और तदानुसार न्याय शुल्क भुगतान किया जाता है।
3. यह कि वादी माननीय न्यायालय से प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना करता है

**अनुतोष की माँग :**

(क) यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध कुल अंकन ......... रु० व उस पर वाद योजन के दिनाँक से भुगतान के दिनाँक तक .........% वार्षिक ब्याज दिलाने की आज्ञाप्ति पारित करने की कृपा करें।

(ख) वाद का व्यय प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(ग) माननीय न्यायालय की राय में जो अन्य उचित अनुतोष हो, दिलाया जावे।

**वादी .........**

**द्वारा अधिवक्ता ....**

**सत्यापन**

मैं नाम ............ वादी प्रमाणित करता हूँ कि वाद पत्र के पैरा 1, 2 व 3 का कथन मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सही है और पैरा 4 और 5 का कथन कानूनी सलाह पर आधारित है जो मेरे विश्वास में सत्य है।

**सत्यापन दिनांक ............ दिन ............ स्थान ............ वादी**